☎ 0522–2838081, 2838082

प्रधान मंत्री
आवास योजना-शहरी
Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban

मिशन निदेशालय
सबके लिए आवास / एस.एल.एन.ए.–सूडा(उ.प्र.)
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)
23, सैक्टर–7, गोमती नगर विस्तार,
(निकट डायल–112) लखनऊ–226002
website-www.sudaup.org
e-mail-hfaup1@gmail.com

पत्रांकः– 505 /01/29/HFA-23/2021–22 दिनांकः– 16 जून, 2021

समस्त परियोजना अधिकारी
जिला नगरीय विकास अभिकरण,
उत्तर प्रदेश।

विषयः–**प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत डीपीआर के आवासों पर कार्य प्रारम्भ किए जाने के सम्बन्ध में।**

उपर्युक्त विषयक सूडा के पत्रांक–1776/01/29/एचएफए–10/2017–18 दिनांक 10 अगस्त, 2017 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत डीपीआर के अनुसार ग्राउण्डिंग से पूर्व डूडा द्वारा लाभार्थी को भवन निर्माण की स्वीकृति हेतु पत्र जारी किये जाने की अपेक्षा की गयी थी।

तत्क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा 52वी एवं 53वी सी0एस0एम0सी0 में 91 नगर निकायों में 62039 आवासों की डी0पी0आर0 स्वीकृत की जा चुकी है, जिनकी सूची सूडा की वेबसाइट www.sudaup.org पर उपलब्ध है। उक्त आवासों की ग्राउण्डिंग का कार्य प्रारम्भ कराये जाने से पूर्व लाभार्थी को भवन निर्माण की स्वीकृति हेतु पत्र जारी किया जाना है। तत्पश्चात् लाभार्थी को रु0 10/– से नॉन जुडिशियल स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र भी लिया जाना है, जिनका प्रारूप भी सूडा की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल ग्राउण्डिंग का कार्य प्रारम्भ करने हेतु चयनित कन्सलटेन्ट के सहयोग से लाभार्थी को स्वीकृति पत्र जारी करने का कष्ट करें।

/

(उमेश प्रताप सिंह)
मिशन निदेशक

प्रतिलिपिः–

1. श्री योगेश आदित्य, सहा0 परियोजना अधिकारी/वेब मास्टर, सूडा, लखनऊ।
2. समस्त डीपीआर प्रिपेरेशन एवं पी0एम0सी0 कन्सलटेन्ट्स को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(उमेश प्रताप सिंह)
मिशन निदेशक

HFA-23/42